न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्याः– 51 / 2024 तारीख रजू 03.06.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

आशीष कुमार गौतम पुत्र श्री सत्यनारायण गौतम (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स रिद्धी सिद्धी मिष्ठान भण्डार, गणेश मन्दिर रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर निवासी– रणथम्भौर कुतलपुरा मालियान, शेरपुर खिलचीपुर सवाई माधोपुर – 322001

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 & 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 11.08.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 16.08.2023 को दोपहर 02.00 पी.एम. पर मैसर्स रिद्धी सिद्धी मिष्ठान भण्डार, गणेश मन्दिर, रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर पर पहुंचा एवं मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम आशीष कुमार गौतम पुत्र श्री सत्यनारायण गौतम होना बताया एवं फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि 15 लीटर टिन घी (गोपी श्री) आम जनता को विक्रय हेतु घी (गोपी श्री) रखे हुए थे। घी (गोपी श्री) में मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 15 लीटर टिन में से 1 लीटर घी (गोपी श्री) खरीदकर उसकी कीमत 560/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान लोकेश एवं वेदप्रकाश पूर्विया एफएसओ के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 लीटर घी (गोपी श्री) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (गोपी श्री) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2969** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2969 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे आशीष कुमार गौतम ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति आशीष कुमार गौतम को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/987 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3306/एक्ट/2023/3345 दिनांक 25.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** घी (गोपी श्री) **Sub Standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fat** प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा Sub-Standard & Contravenes घी (गोपी श्री) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 26 की उपधारा 2(v) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रकरण जवाब पेश गया किया गया तथा प्रकरण में साथ ही साथ बहस किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-standard & Contravenes (गोपी श्री) का विक्रय करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:30:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 2(V) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किया गया न्याय निर्णयन आवेदन के अनुसार प्रार्थी के खिलाफ मामला सब स्टेण्डर्ड श्रेणी का नहीं बनता है। गोपी श्री ब्राण्ड घी का नमूना दिनांक 16.08.23 को लिखा गया था तथा नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक द्वारा दिनांक 25.08.23 को की गई थी। उनके द्वारा फैटी एसिड प्रोफाईल की जांच की गई है जबकि नमूना लेने वाली दिनांक 16.08.23 को घी में फैटी एसिड प्रोफाईल की जांच कानून में वर्णित नहीं थी। जबाव के साथ संलग्न अनेक्सचर 1 लगायत 2 से सुस्पष्ट है। जिसमें अंकन किया है कि **खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) छठा संशोधन विनियम, 2021 के अनुसार खाद्य कारोबार प्रचालको को 1 जुलाई 2022 इन विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। घी के फैटी एसिड संरचना का अनिवार्य अनुपालन इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात प्रवृत होंगे।** इस कारण से फूड एनालिस्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर जब घी का नमूना Regulation 2-1-8 FSS (Food Products Standards - Food Addivtive Regulations 2011 के अनुसार निर्धारित मानक स्तर का हो तो केवल मात्र Fatty Acid Profile की बिनाह पर भी घी का नमूना सब–स्टेण्डर्ड नहीं माना जा सकता है। Fatty Acid Profile के जो मानक दिये हुए है उसमें कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि Fatty Acid Profile के मानको के अनुरूप ना होने से यह प्रकट होता हो कि घी में कोई फोरेन फेट मिला हो। इस कारण फूड एनालिस्ट की जांच रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होने के कारण नमूना सब–स्टेण्डर्ड नहीं माना जा सकता है। अन्त में वकील अभियुक्त द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण का निरस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3306/एक्ट/2023/3345 दिनांक 25.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** घी (गोपी श्री) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जोकि घी में विदेशी वसा (Foreign Fat) (जिसमें वनस्पति तेल, साथ ही पशु वसा उपस्थित हो सकती है) के उपस्थित रहने के कारण सेम्पल सबस्टेण्डर्ड आया है। अभियुक्त का कथन कि ''घी के फैटी एसिड संरचना का अनिवार्य अनुपालन इन विनियमों के राजपत्र के प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात प्रवृत्त होंगे'', के अनुसार फैटी एसिड संरचना का अनिवार्य अनुपालन 2 वर्ष पश्चात प्रवृत्त होना अंकित है किन्तु फैटी एसिड संरचना का सामान्य रूप से अनुपालन भी विनियम राजपत्र के प्रकाशन के 2 वर्ष पश्चात प्रवृत्त होंगे ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल की जांच सामान्य रूप में की गई है, ना कि विशेष रूप से केवल फैटी एसिड संरचना की जांच की गई है। उक्त जांच में अन्य बिन्दुओं की जांच के साथ फैटी एसिड संरचना भी शामिल है। अतः अभियुक्त का कथन ''घी में फैटी एसिड प्रोफाईल की जांच कानून [illegible]हीं थी'', मान्य नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स प्रकृति के **खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **11.08.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:30:24 IST
Reason: SelfAttested